

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 30/11/16

संख्या- 3/एल-6-1-10/2016- 671(3) /स्वा0, डा0 सुरेश शर्मा, अपर उपाधीक्षक-
सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, सिवान को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक
विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी0)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक 6190 दिनांक
27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा
निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि बाद में कोई अवधि अविनियमित सिद्ध होती है तो उसकी
जिम्मेवारी उनकी होगी और उसको विनियमित करने का आग्रह नहीं करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 671(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 30/11/16

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा)
विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अपर निदेशक, सारण प्रमंडल छपरा/जिलाधिकारी, सिवान/सिविल सर्जन,
सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/डा0 सुरेश शर्मा, अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त
सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3
एवं 9 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ
प्रेषित ।

29/11/16
सरकार के अवर सचिव